भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. ईसीआई/प्रेस.नोट/8/2017 **दिनांकः 11 जनवरी, 2017**

<u>प्रेस नोट</u>

विषयः- निर्वाचकों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रपत्रों (दावे एवं आपत्तियों) में संशोधन -तत्संबंधी।

भारत निर्वाचन आयोग **(**भा.नि.आ.**)** निर्वाचक नामावली की शुद्धता और सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों के एक बाधा रहित ढंग से रजिस्ट्रीकरण करने को अत्यधिक महत्व देता है। नागरिकों की सुविधा और सरलता को उच्च प्राथमिकता देते हुए निर्वाचकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रपत्रों नामतः **6**, **6**क, **7**, **8**, **8**क, **18** और **19 (**जैसे नीचे विस्तार में दिया गया है**)** को प्रयोक्ता अनुकूल बनाया गया है और तद्नुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1950** की धारा **28** के अंतर्गत संशोधित किया गया हैः-

क्रम सं.	प्रपत्र	विवरण
1.	प्रपत्र-**6**	निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के लिए आवेदन।
2.	प्रपत्र-**6**क	प्रवासी भारतीय निर्वाचक द्वारा नामावली में नाम शामिल करने के लिए आवेदन।
3.	प्रपत्र-**7**	निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने और निर्वाचक नामावली से नाम हटवाने की मांग करने के लिए आवेदन।
4.	प्रपत्र-**8**	निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विवरणों को सुधारने के लिए आवेदन।
5.	प्रपत्र-**8**क	किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के एक भाग से निर्वाचक नामावली के दूसरे भाग में प्रविष्टि के स्थानांतरण के लिए आवेदन।
6.	प्रपत्र-**18**	राज्य विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के लिए दावा।
7.	प्रपत्र-**19**	राज्य विधान परिषद के अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के लिए दावा।

यद्यपि उपर्युक्त संशोधित प्रपत्र, दिनांक **16** सितंबर, **2016**, वह तारीख जब इसे अधिसूचित किया गया है, को ही प्रभावी हो गए हैं, फिर भी प्रपत्रों के पुराने स्टाक का निर्वाचकों के रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम **35** के अंतर्गत **15** मार्च, **2017** तक उपयोग किया जा सकता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्धित करता है कि दावे एवं आपत्ति प्रपत्र, जैसा ऐसे संशोधन से पहले था, यदि अधिसूचना की तारीख से छः महीने की अवधि के दौरान किसी आवेदक से प्राप्त किए जाते हैं, तो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इसे निपटा दिया जाएगा और वह इस उद्देश्य के लिए लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त सूचना **(**ऐसी सूचना होने के नाते जिन्हें तब प्रस्तुत किया गया होता जब संशोधित प्रपत्रों को प्रयुक्त किया जा चुका होता**)** को ऐसे उचित समय के भीतर भिजवाने की अपेक्षा कर सकता है जैसाकि निर्धारित नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया है कि पुराने प्रपत्रों **(**ऐसे संशोधन से ठीक पहले मौजूद**)** को आवेदक द्वारा **15** मार्च, **2017** तक प्रयुक्त किया जा सकता है और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे प्रपत्रों को उचित प्रक्रिया के साथ निपटाएगा। **निर्वाचन आयोग ने आगे यह**

पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे किसी प्रपत्रों को किसी भी स्थिति में 15 मार्च, 2017 के बाद प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये निर्वाचकों के रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम-17 के प्रावधानों के तहत् एक शिरे से निरस्त किए जा सकते हैं।

संशोधित प्रपत्र आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in पर उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है और इस प्रकार डाउनलोड के गए प्रपत्रों की हार्ड प्रति को दावे एवं आपतियां (जैसी भी स्थिति हो) दायर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक